भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3831**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल के पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों का पुनरुद्धार

3831. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के पारंपरिक निर्यात उद्योगों जैसे कॉयर और काजू, विशेषकर अलप्पुझा और कोल्लम जैसे क्षेत्रों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमी और उत्पादन एवं प्रसंस्करण अवसंरचना में आधुनिकीकरण के अभाव के कारण निरंतर गिरावट की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कॉयर और काजू क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और तकनीकी उन्नयन को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं ताकि इन उद्योगों में कार्यरत कामगारों, विशेषकर महिलाओं और उपेक्षित समुदायों की निर्यात आय और आजीविका में सुधार हो सके;

(ग) क्या कॉयर और काजू प्रसंस्करण और निर्यात में लगे एमएसएमई और सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने के लिए अलप्पुझा या कोल्लम जिलों में किसी नए एसईजेड, निर्यात सुविधा केंद्र या सामान्य सुविधा केंद्र की योजना बनाई जा रही है या उन्हें मंजूरी दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए, विशेषकर केरल में, कॉयर और काजू क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए आरओडीटीईपी (रेमिशन ऑफ ड्युटीज ऑन एक्सपोर्टेड प्रॉड्क्ट्स) और ब्याज समकारी योजनाओं के तहत निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) वर्ष 2024-25 में कॉयर का निर्यात 377.98 मिलियन अमरीकी डॉलर था जो वर्ष 2023-24 में कॉयर निर्यात अर्थात् 285.69 मिलियन अमरीकी डॉलर से 32.30% अधिक था। वर्ष 2024-25 में काजू का

निर्यात 338.21 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जो वर्ष 2023-24 में 339.2 मिलियन अमरीकी डॉलर के लगभग बराबर था। (स्रोतः डीजीसीआईएस)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अपनी वित्तीय सहयोग योजना के माध्यम से काजू सहित एपीडा अनुसूचित उत्पादों की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के सदस्य निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। पारंपरिक प्रसंस्करण विधियों को उन्नत करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए, केरल के निर्यातकों को उन्नत प्रौद्योगिकीयों, पूर्णतः स्वचालित अखरोट काटने और शेलिंग मशीनों, छँटाई और ग्रेडिंग लाइनों और स्वचालित रंग छँटाई प्रणालियों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, एपीडा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थी निर्यातकों और महिला उद्यमियों के लिए, प्रति लाभार्थी/निर्यातक 2.00 करोड़ रूपये की सीमा के अधीन कुल लागत का 75% तक सहायता प्रदान की जाती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कॉयर बोर्ड के माध्यम से, भारत में कॉयर उद्योग के समग्र एवं सतत विकास के उद्देश्य से तैयार की गई कॉयर विकास योजना (सीवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। इसमें अनुसंधान एवं विकास, कारीगरों का कौशल विकास, आधुनिकीकरण उन्नयन और नई इकाइयों की स्थापना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, घरेलू और निर्यात बाजार को बढ़ावा देना और व्यापार एवं उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं प्रदान करना जैसी कार्यकलापों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

सीवीवाई के अंतर्गत, उद्यम पर 21,000 से अधिक कॉयर इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनसे वर्ष 2014-15 से लगभग 2.3 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 64, 000 से अधिक व्यक्तियों और 30,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया और लगभग 1,000 निर्यातकों को 18 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय सहायता के साथ विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायदा प्रदान की गई। इसके अलावा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत लगभग 176 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से 3,700 से अधिक नई कॉयर इकाइयॉं स्थापित की गई हैं जिससे लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिला है।

एसएफयूआरटीआई योजना के तहत केरल के अलप्पुझा में अंबालापुड़ा कॉयर डेवलपमेंट सोसाइटी नामक कॉयर क्लस्टर को मंजूरी दे दी गई है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कॉयर क्लस्टर को 79.74 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वर्तमान में अलप्पुझा और एर्नाकुलम जिलों में एसईजेड की स्थापना का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

किसी विशेष क्षेत्र के लिए छूट दरों में वृद्धि, निर्यातित उत्पाद पर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर शुल्कों/करों/शुल्कों के क्षेत्रीय विश्लेषण के बाद उक्त उद्योगों से प्राप्त अनुरोधों की जांच के बाद आरओडीटीईपी समिति द्वारा की जाती है। ब्याज समानीकरण योजना अभी तक चालू नहीं है।

*****